न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ) चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी – श्री रणछोड़ लाल, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं. 40/2018
अन्तर्गत धारा 88,188 RT Act.

वादी –

1. विरधाराम पुत्र लाभूराम फौत के का.मु. 1. गवरी पत्नी विरधाराम 2. देवीलाल उर्फ देवीसिंह पुत्र विरधाराम फौत के का.मु. 2/1 दमयंती पत्नी देवीलाल उर्फ देवीसिंह 2/2 सुरेश पुत्र देवीलाल उर्फ देवीसिंह 2/3 मुकेश कुमार पुत्र देवीलाल उर्फ देवीसिंह जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1 भीखाराम 2. सालगाराम 3. पोकराराम पि. गोमदाराम 4. दोली पत्नी गोमदाराम 5. किस्तुराराम पुत्र लाभूराम फौत के का.मु. 5/1 ताजाराम पुत्र किस्तुराराम 5/2 चूनाराम पुत्र किस्तुराराम 5/3 मेघाराम पुत्र किस्तुराराम 5/4 तेजाराम पुत्र किस्तुराराम 5/6 भूराराम पुत्र किस्तुराराम 5/7 रूखमणाराम पुत्र किस्तुराराम 6. लिखमाराम पुत्र लाभूराम फौत के का.मु. 6/1 आसूराम पुत्र लिखमाराम 6/2 बनु पत्नी लिखमाराम 7. पदमाराम पुत्र लाभूराम 8. मालाराम पुत्र लाभूराम 9. वीराराम पुत्र लाभूराम 10. गोगाराम पुत्र चिमाराम 11. धनी पत्नी चिमाराम जाति जाट निवासी महाबार पीथल तहसील व जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार चौहटन 13. कैशाराम पुत्र मंगलाराम 14. नगाराम पुत्र मंगलाराम 15. दमाराम पुत्र मंगलाराम 16. जसाराम पुत्र टीकूराम 17. धुड़ी पत्नी टीकराम 18. नन्दराम पुत्र रतनाराम 19. गिरधारीराम पुत्र रतनाराम 20. हुकमाराम पुत्र रतनाराम 21. हीरा पत्नी रतनाराम 22. मदाराम पुत्र मानाराम 23. तुलसाराम पुत्र मानाराम 24. लालाराम पुत्र मानाराम 25. भंवराराम पुत्र मानाराम 26. चम्पा पत्नी मानाराम जाति जाट निवासी बुडीया का तला (लीलसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

अधिवक्तागण – वादी वकील – श्री वीरमाराम धारासर
प्रतिवादीगण वकील – श्री छाकराराम कड़वासरा
प्रतिवादी सं. 5 से 11 व 13 से 26

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) सत्यमेव जयते चौहटन

–: निर्णय :–

दिनांक :– 13.05.2026

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 425 रकबा 39.18 बीघा ग्राम लीलसर दक्षिण व खसरा संख्या 480 रकबा 67.04 बीघा व खसरा संख्या 425 रकबा 26.02 बीघा एवं खसरा संख्या 474 रकबा 24.09 बीघा, खसरा संख्या 457 रकबा 157.10 बीघा भूमि ग्रम बुड़ियों का

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

ला, तहसील चौहटन में आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक व एक ही परिवार की होने से कुछ भूमि ग्राम लीलसर में होने से आपस में बंटवाड़ा कर लिया है तथा उसी अनुसार उनका उपरोक्त खसरान की भूमि पर रहवासीय ढ़ाणियां, कब्जा–काश्त पीढ़ियों से चला आ रहा है। मौके पर कब्जा–काश्त होने व रेकर्डेड खातेदार होने व एक ही परिवार के होने से वादीगण माफिक कब्जा–काश्त अनुसार अपनी भूमि को खातेदारी में घोषित करवाने के अधिकारी है।

ग्रम लीलसर दक्षिण के खसरा संख्या 425 रकबा 39.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 7 से 11 व वादी के हिस्से में घोषित की जावे। तथा माला के हिस्से में आने वाली 05 बीघा भूमि वादी विरधा व प्रतिवादी सं. 6 वीरा के हिस्से में रखी जावें। ग्राम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 480, 484 रकबा क्रमशः 67.04, 26.02 कुल रकबा 93.06 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हिस्से में घोषित की जावें। ग्रम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 474, 457 रकबा क्रमशः 24.09, 157.10 बीघा कुल रकबा 181.19 बीघा वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 11 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावें। उपरोक्त हिस्सा माफिक वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड कब्जे–काश्त के अनुसार मौके पर भूमि का विभाजन किया जावें। जिसके लिए यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 5 से 11 व 13 से 26 की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा इकबालिया जवाब दावा पेश किया गया।

वादी साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 वादी सं. 1 विरधाराम पुत्र लाभूराम, पीडब्ल्यू–2 चेतनराम पुत्र मालाराम का शपथ पत्र पेश किया। ब्यान कलमबद्ध करवाये गये। तथा दस्तावेज न्यायालय में Exhibit करवाया गया। वकील वादी ओर साक्ष्य पेश नही करने तथा वकील प्रतिवादी साक्ष्य नही करवाने से वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया। वादी व प्रतिवादी अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के ग्रम लीलसर दक्षिण के खसरा संख्या 425 रकबा 39.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 7 से 11 व वादी के हिस्से में तथा माला के हिस्से में आने वाली 05 बीघा भूमि

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

दी विरधा व प्रतिवादी सं. 6 वीरा के हिस्से में रखने व ग्राम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 480, 484 रकबा कमशः 67.04, 26.02 कुल रकबा 93.06 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हिस्से में एवं ग्प्रम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 474, 457 रकबा कमशः 24.09, 157.10 बीघा कुल रकबा 181.19 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 11 का 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी का मौके पर कब्जा काश्त एवं हिस्सानुसार ''बाई मीटस एण्ड बाउण्ड'' विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार चौहटन को 500/— रूपये फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त किया गया था।

वकील वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम हटाकर पक्षकारों के हिस्सानुसार खातेदारी में घोषित करने का पेश किया। जिस पर बाद सुनवाई के वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में धारा 53 RT Act को हटाया गया। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु मुकर्र की गई।

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के ग्प्रम लीलसर दक्षिण के खसरा संख्या 425 रकबा 39.18 बीघा सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी सं. 7 से 11 व वादी के हिस्से में तथा माला के हिस्से में आने वाली 05 बीघा भूमि वादी विरधा व प्रतिवादी सं. 6 वीरा के हिस्से में रखने व ग्राम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 480, 484 रकबा कमशः 67.04, 26.02 कुल रकबा 93.06 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 5 व 6 के हिस्से में एवं ग्प्रम बुड़ियों का तला में खसरा संख्या 474, 457 रकबा कमशः 24.09, 157.10 बीघा कुल रकबा 181.19 बीघा भूमि में वादी व प्रतिवादी सं. 7 से 11 का 1/4 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

(रणछोड़ लाल)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन